न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 11/2017

अनवान : –

1. बिन्दु पुत्री राजपाल जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– सायला

बनाम्

1. राजपाल पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. दीपू पुत्री राजपाल उम्र 20 वर्ष जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर हाल आबाद खाबड़ा वाला तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा।
3. सोनू पुत्री राजपाल उम्र 18 वर्ष जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर हाल आबाद खाबड़ा वाला तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा।
4. अश्विनी पुत्र राजपाल उम्र 16 साल नाबालिग जरिये बली कुदरती संरक्षिकाम माता सन्तरों देवी पत्नी राजपाल नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर हाल आबाद खाबड़ा वाला तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा।
5. हेमराज पुत्र मोमनराम जाति नायक निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चुरू।
6. लिच्छुराम पुत्र मोमनराम जाति नायक निवासी देवगढ़ तहसील तारानगर जिला चुरू।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 28/03/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के ख0न0 56 की 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि, ख0न0 65 की 12 बीघा 68 की 14 बिस्वा 4 बिस्वा व ख0न0 134 की 35 बिघा 6 बिस्वा भूमि कुल 82 बीघा 5 बिस्वा बारानी भूमि में से तादादी 706 हिस्सा यानि 35 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजेन्द्र–राजपाल, इन्द्रसिंह पि0 मंगलाराम व मुस्मात अणचाई जोजा मंगलाराम साकिन खाबड़ा वाला तहसील फतियाबाद हाल भटटू खूर्द जिला हिसार हाल फतेबाद को दिनांक 08.06.1988 को रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की थी उस वक्त मंगलाराम साकिन खाबड़ा वाला तहसील फतियाबाद हाल भटटू खुर्द जिला हिसार हाल फतेबाद को दिनांक 08.06.1988 को रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की थी उस वक्त मंगलाराम के वारिसान नाबालिग थे जिनमें वादीया के पिता की उम्र 11 वर्ष थी वादीया के दादा के द्वारा उक्त भूमि खरीद शुदा भूमि थी इसलिए वाद भूमि पैतृक भूमि है यही बिनाय दावा है।

रोही मौजा सांगठिया तहसील [illegible] खाता स0 122/108 के ख0न0 134 की 8.9280 हैक्ट भूमि में 1/4 हि[illegible] है जो प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम 2.232 हैक्ट भूमि दर्ज [illegible] की स्वयं की अ[illegible] से खरीद शुदा भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अकेले के [illegible]चित तरीके से दर्ज [illegible] रखी है तथा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 18:34:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि प्रार्थीया के दादा की स्वयं के परिश्रम व अर्जित आय से खरीद शुदा है। उक्त भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमे प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का पैदायशी हक हिस्सा है चुकी सोनू अविवाहित फौत हो चुकी है इसलिए प्रार्थीया, अप्राथी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम भूमि दर्ज होने से अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है अप्रार्थी स0 1 द्वारा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 108/26 की कुल 2.232 हैक्ट भूमि को हेमराज व लिच्छुराम पि0 मोमनराम जाति नायक निवासी देवगढ़ प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को दिनांक 06.02.2017 को जरिये बैयनामा बेचान कर दिया है जो की वादीया व प्रतिवादीगण के खातेदारी हकों के खिलाफ है। इसलिए गैरसायल स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 122/108 के ख0न0 134 की 8.9280 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज 2.232 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण हेमराज व लिच्छुराम द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया की उक्त वाद भूमि उत्तरदातागण द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 06.02.2017 को खरीद की गई है। उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 की स्वयं की खरीदशुदा भूमि है। मुताबिक बैयनामा उत्तरदातागण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। सायला उत्तरदातागण की जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि को हड़पना चाहती है। सायला को दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 122/108 के ख0न0 134 की 8.9280 हैक्ट भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 2.232 हैक्ट भूमि दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम 2.232 हैक्ट भूमि दर्ज है। वादीया के दादा की स्वयं की अर्जित आय से खरीद शुदा भूमि है जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अकेले के अनुचित तरीके से दर्ज करवा रखी है तथा उक्त भूमि प्रार्थीया के दादा की स्वयं के परिश्रम व अर्जित आय से खरीद शुदा है। उक्त भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसमे प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का पैदायशी हक हिस्सा है चुकी सोनू अविवाहित फौत हो चुकी है इसलिए प्रार्थीया, अप्राथी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने की अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम भूमि दर्ज होने से अप्रार्थी स0 1 उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहता है अप्रार्थी स0 1 द्वारा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 108/26 की कुल 2.232 हैक्ट भूमि को हेमराज व लिच्छुराम पि0 मोमनराम जाति नायक निवासी देवगढ़ प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को दिनांक 06.02.2017 को जरिये बैयनामा बेचान कर दिया है जो की वादीया व प्रतिवादीगण के खातेदारी हकों के खिलाफ है। इसलिए गैरसायल स0 1 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 18:34:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त वाद भूमि उत्तरदातागण द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 06.02.2017 को खरीद की गई है। उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 की स्वयं की खरीदशुदा भूमि है। मुताबिक बैयनामा उत्तरदातागण उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। सायला उत्तरदातागण की जरिये बेयनामा खरीद की गई भूमि को हड़पना चाहती है। सायला को दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थीया का कथन है कि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक प्रथम दृष्टया उक्त भूमि पैतृक नही है बल्कि अप्रार्थी स0 1 की स्वयं की खरीद शुदा भूमि है। अप्रार्थीगण लिच्छुराम व हेमराज का कथन है कि हमारे द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 06.02.2017 को खरीद की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तत रजिस्टर्ड बैयनामा के अनुसार अप्रार्थी हेमराज व लिच्छुराम द्वारा यह भूमि खरीद की गई है एवं बैयनामा के खंडन में अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है इसलिए उक्त बैयनामा आदिनांक तक वैध है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है न की प्रार्थीया के पक्ष में। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण दिनांक किया जाकर दिनांक 08.02.2017 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.02 18:34:05 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर